

**प्रेस विज्ञप्ति**

**एफ़एमई अध्ययन पर दिवालियापन वाले शासन-काल तथा व्यवसायसंघों की आर्थिक अनिश्चितता और झटकों के तहत भुगतान में चूक के जोखिमों के लिए आईआईएमए मिश्रा केंद्र[[1]](#endnote-1) (इकोनॉमिक मॉडलिंग जर्नल में आगामी होने वाला)**

22 जून, 2020 | अहमदाबाद:

**सारांश :**

अक्सर एक मजबूत दिवालियापन और बैंकरप्सी के ढांचे को लागू करने के लिए तर्कों में से एक जो अक्सर उन्नत है, वह यह है कि इससे फर्मों के बीच क्रेडिट अनुशासन को बढ़ता है। एक बड़े पार-राष्ट्रीय कंपनी-स्तरीय डेटासेट का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करता है कि क्या एक मजबूत दिवालियापन शासन में फर्मों के ऋण पर चूक की संभावना को कम करता है। विशेष रूप से, यह अध्ययन जाँच करता है कि क्या यह बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता और विभिन्न बाहरी झटके के दौरान डिफ़ॉल्ट जोखिम को कम करता है। परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक मजबूत दिवालियापन शासन फर्मों के डिफ़ॉल्ट जोखिम पर आर्थिक झटकों के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करता है। आकार वितरण के शीर्षस्थ अर्ध में फर्मों के लिए प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं।

यह अध्ययन उन चैनलों की भी पड़ताल करता है, जिनके माध्यम से लेनदार के अधिकार फर्मों के डिफ़ॉल्ट जोखिम को प्रभावित करते हैं, जिसमें बाह्य वित्त, कॉर्पोरेट लीवरेज और प्रबंधकीय नैतिकता पर निर्भरता शामिल है। मुख्य परिणाम डिफ़ॉल्ट जोखिम के एक वैकल्पिक उपाय, मुद्रा और संप्रभु ऋण संकट घटनाओं का समावेश और वैकल्पिक अनुमानों के लिए ठोस बनते हैं।

मिश्रा वित्तीय बाज़ार तथा अर्थव्यवस्था केंद्र (एमसीएफ़एमई) वेबपेज पर अन्य आधारपत्रों के साथ पूरी रिपोर्ट उपलब्ध है : <https://www.iima.ac.in/web/areas-and-centres/research-centres/misra-centre-for-financial-markets-and-economy/research-and-publications>

**सर्वेक्षण से प्रमुख अंतर्दृष्टि / निष्कर्ष :**

प्रोफ़ेसर बालगोपाल गोपालकृष्णन (आईआईएम कोझीकोड) और प्रोफेसर संकेत मोहापात्र (आईआईएम अहमदाबाद) द्वारा किए गए अध्ययन में लगभग 13,000 फर्मों के लिए 60 देशों के डेटा का उपयोग करने से पता चलता है कि एक मजबूत दिवालियापन और बैंकरप्सी ढांचा फर्मों में क्रेडिट अनुशासन बढ़ाने और उनके भविष्य ऋण के डिफ़ॉल्ट जोखिम को कम करने की संभावना रखते है। एक मजबूत दिवाला शासन आमतौर पर कार्यवाही की समय की और लागत में कमी के साथ जुड़ा हुआ है और दिवालियापन की स्थिति में एक उच्च वसूली दर से जुड़ा होता है। एक मजबूत दिवालियापन फ्रेमवर्क में, जहां प्रमोटरों पर फर्म का नियंत्रण खोने का अधिक जोखिम होता है, ऐसी स्थिति में अध्ययन में पाया गया है कि कॉर्पोरेट प्रबंधकों को अपने निवेश और वित्तपोषण निर्णयों में अधिक रूढ़िवादी होने की संभावना है, और इसके परिणामस्वरूप, ऋण भुगतान चूक के जोखिम को कम कर सकते हैं ।

इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि मजबूत दिवाला शासनों वाले देशों में, नीति अनिश्चितता और आर्थिक संकट के प्रतिकूल प्रभाव (जैसे कि कोविड-19 महामारी) को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ऐसे परिदृश्य में फर्मों ने कर्ज संकट के अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक विवेकपूर्ण निर्णय किए होंगे।

वर्ष 2016 में भारत ने दिवाला तथा दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को शुरू करने के साथ महत्वपूर्ण दिवालियापन सुधारों को लागू किया है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, विश्व बैंक की दिवालियापन निवारण रैंकिंग में भारत की स्थिति हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ गई है, आईबीसी जिस वर्ष स्थापित किया गया उस वर्ष 2016 में 132 क्रम से आगे बढ़कर वर्ष 2020 में 52वेँ क्रम पर आ गई।

हालांकि कोविड-19 महामारी से प्रेरित गहरे आर्थिक संकट के कारण आईबीसी को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत में दिवालिया सुधार के बाद कोविड पश्चात के परिदृश्य में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। हालांकि वर्तमान आर्थिक माहौल में आईबीसी का निलंबन रद्द किया जा सकता है, लेकिन विस्तारित अवधि के लिए इसे स्थगित करने का एक संभावित नकारात्मक पक्ष यह है कि यह फर्मों के बीच जोखिम भरे व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है।

1. *यह रिपोर्ट आईआईएम कोझीकोड के प्रोफ़ेसर बालगोपाल गोपालकृष्णन तथा आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफ़ेसर संकेत मोहापात्र द्वारा तैयार की गई है।*

*मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें :*

**दीपक भट्ट**

**प्रबंधक, संचार**

दूरभाष : सेल) +91-9426229429, (कार्यालय) +91-79-7152 4683,

ईमेल : mngr-comm@iima.ac.in

**मिताली नायडू**

**कार्यकारी, जनसंपर्क**

दूरभाष : (सेल) +91-7069074816, (कार्यालय) +91-79-7152 4684,

ईमेल : pr@iima.ac.in [↑](#endnote-ref-1)